अपील LR 108/2011 लाडूसिंह / ग्राम पं० भीमि अरपंन

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
05-12-22	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अभिभाषक श्री रामसुख चौधरी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक श्री नौरतमल जैन उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 27.12.2012 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमति आपू पुत्री भोमा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्रीमति कोया पुत्री भोमा का स्वर्गवास करीब एक वर्ष पूर्व हो चुका है, जिसकी सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांट अभिभाषक को दी जाकर प्रकरण में कायम मुकाम की कार्यवाही करने हेतु हिदायत दी गई परन्तु आदिनांक तक अपीलांट अभिभाषक द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषकगण को सुना गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस उनवानी प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमति आपू पुत्री भोमा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्रीमति कोया पुत्री भोमा का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रकरण में मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमति आपू पुत्री भोमा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्रीमति कोया पुत्री भोमा की समयावधि में कायम मुकाम कार्यवाही नही की गई है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नही की गई है जिससे प्रकरण को अदम तकमील में खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। मैंने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषकगण के उक्त कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गौर किया। अपीलांट अभिभाषक द्वारा मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमति आपू पुत्री भोमा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्रीमति कोया पुत्री भोमा के कायम मुकाम की कार्यवाही दिनांक 27.12.2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक द्वारा सूचना दिये जाने के उपरांत आदिनांक तक नही की है जिसके आधार पर यह प्रकरण अदम तकमील में खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट अभिभाषक को कायम मुकाम कार्यवाही करने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा काफी समय दिये जाने के उपरान्त भी इस प्रकरण में मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमति आपू पुत्री भोमा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्रीमति कोया पुत्री भोमा की अन्दर समयावधि में कायम मुकाम कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रकरण अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner